भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1877

दिनांक 11 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

आरडीएसएस का कार्यान्वयन

†1877. श्रीमती सुप्रिया सुलेः
श्री भास्कर मुरलीधर भगरेः
डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हेः
प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़ः
श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटीलः
श्री संजय दिना पाटीलः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) महाराष्ट्र राज्य में संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) महाराष्ट्र में उक्त योजना के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं की कुल संख्या क्या है;

(ग) सरकार द्वारा सबस्टेशनों, ट्रांसफार्मरों और फीडरों के उन्नयन सहित महाराष्ट्र में आरडीएसएस के अंतर्गत डिस्कॉम की अवसंरचना में सुधार हेतु की गई पहलों का ब्यौरा क्या है;

(घ) महाराष्ट्र में आरडीएसएस के अंतर्गत शामिल शहरी और ग्रामीण कस्बों की संख्या कितनी है;

(ङ) ए.टी.एण्ड सी. हानियों में कमी और विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार के संदर्भ में इन पहलों के अपेक्षित परिणाम क्या हैं;

(च) सरकार द्वारा महाराष्ट्र में आरडीएसएस के कार्यान्वयन में निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(छ) क्या उक्त योजना के अंतर्गत राज्य में किसी प्रौद्योगिकी साझेदार या टर्न-की ठेकेदार को नियुक्त किया गया है और यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ज) क्या कोई विलंब, लागत में वृद्धि संभार-तंत्र संबंधी समस्याएँ आई हैं और यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(झ) सरकार द्वारा ऐसे मुद्दों के समाधान के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : दिनांक 03.12.2025 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र राज्य के लिए आरडीएसएस के अंतर्गत हानि न्यूनीकरण कार्यों और स्मार्ट मीटरिंग कार्यों की प्रगति नीचे सारणीबद्ध है:

क्रम सं.	डिस्कॉम	हानि न्यूनीकरण कार्य	स्मार्ट मीटरिंग कार्य
1	एमएसईडीसीएल	35.74%	31.07%
2	बीईएसटी	29.85%	43.52%
राज्य		**35.41%**	**31.63%**

(ख) से (ङ) : विद्युत, एक समवर्ती विषय होने के कारण, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रखरखाव, अनुरक्षण और वितरण अवसंरचना की अभिवृद्धि सहित सभी उपभोक्ताओं को विश्वसनीय तरीके से विद्युत की आपूर्ति की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों/वितरण यूटिलिटी की है।

भारत सरकार संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के माध्यम से राज्य के प्रयासों में सहायता कर रही है, जिसके तहत महाराष्ट्र राज्य के लिए 17,238 करोड़ रुपये की राशि के हानि न्यूनीकरण कार्यों और 15,215 करोड़ रुपये की राशि के स्मार्ट मीटरिंग कार्यों को मंजूरी दी गई है। हानि न्यूनीकरण कार्यों में नए सबस्टेशन और वितरण ट्रांसफार्मर के लिए कार्य, सबस्टेशन और वितरण ट्रांसफार्मर (डीटीएस) का उन्नयन, एचटी और एलटी लाइनों का प्रतिस्थापन और संवर्धन, कृषि फीडर पृथक्करण, फीडर विभाजन, एचवीडी (उच्च वोल्टेज वितरण प्रणाली), आपदा रोधी कार्य, घरेलू विद्युतीकरण कार्य आदि शामिल हैं। इसके अलावा, 2.36 करोड़ उपभोक्ताओं, 4.11 लाख डीटी और 29,214 फीडरों के लिए स्मार्ट मीटरिंग कार्य स्वीकृत किए गए हैं। राज्य द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्ताव के आधार पर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों सहित महाराष्ट्र के 34 जिलों के लिए उपर्युक्त कार्यों को मंजूरी दी गई है।

एटीएंडसी हानियों में कमी और विद्युत आपूर्ति में सुधार सहित उपर्युक्त कार्यों के पूरा होने से डिस्कॉम की प्रचालन दक्षता में सुधार होगा। एटी एंड सी हानि के मापदंड और विद्युत आपूर्ति के लिए राज्य द्वारा प्रस्तुत कार्य योजना के आधार पर स्कीम के अंतर्गत लक्षित परिणाम **अनुबंध** पर हैं।

(च) और (छ) : आरडीएसएस के अंतर्गत, सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से स्मार्ट मीटरिंग की जा रही है। उन्नत मीटरिंग अवसंरचना सेवा प्रदाता (एएमआईएसपी) डीबीफुट (डिजाइन बिल्ड फंड ऑन ऑपरेट एंड ट्रांसफर) मोड में स्मार्ट मीटरिंग सेवाएं प्रदान करेगा।

इसके अलावा, हानि न्यूनीकरण कार्यों के लिए वितरण यूटिलिटी परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियां हैं और स्कीम दिशानिर्देशों के अनुसार संबंधित वितरण यूटिलिटी के टर्नकी संविदाकारों के माध्यम से कार्य किए जा रहे हैं।

(ज) से (झ) : प्रारंभ में तकनीकी/वित्तीय मूल्यांकन, राज्य सरकार की मंजूरी, समझौतों पर हस्ताक्षर, सामान्य तकनीकी विशिष्टताओं (जीटीपी) की मंजूरी आदि जैसे प्रशासनिक अनुमोदन में विलंब के कारण स्कीम के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों के कार्यान्वयन में कुछ चुनौतियां थीं। कार्यों की प्रगति को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों में प्रतिकूल मौसम की स्थिति जैसे तीव्र वर्षा, बाढ़ आदि शामिल हैं। विद्युत मंत्रालय और नोडल एजेंसियां निविदा की प्रगति, अवार्ड और स्वीकृत कार्यों की वास्तविक प्रगति पर राज्यों और वितरण यूटिलिटी के साथ नियमित रूप से अनुवर्ती कार्रवाई कर रही हैं और मुद्दे, यदि कोई हैं, को हल करने में यूटिलिटी की सहायता कर रही हैं। परिणामस्वरुप, कार्यों ने अब गति पकड़ ली है। इसके अलावा, स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार, स्वीकृत लागत से अधिक लागत वृद्धि संबंधित राज्य/वितरण यूटिलिटी द्वारा वहन की जानी है।

लो.स.अतारां.प्र.सं. 1877

अनुबंध

डिस्कॉम	मापदंड	इकाई	वित्त वर्ष 26 लक्ष्य
एमएसईडीसीएल	एटी एंड सी हानियां	%	13%
एमएसईडीसीएल	आपूर्ति के घंटे (ग्रामीण)	औसत घंटे/ प्रतिदिन	23:00
एमएसईडीसीएल	आपूर्ति के घंटे (शहरी)	औसत घंटे/ प्रतिदिन	23:42
बीईएसटी	एटी एंड सी हानियां	%	7.50%
बीईएसटी	आपूर्ति के घंटे (शहरी)	औसत घंटे/ प्रतिदिन	23:57

****